

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना


राँची, दिनांक- ०४/०४ /2024

12/पी₅-201/2003 (खण्ड)- ५७१०/ विभागीय अधिसूचना सं०- 4911, 4912 एवं 4913, दिनांक-10.08.2010 के द्वारा सेवा मुक्त किये जाने के उपरांत विभागीय आदेश सं०-4155, दिनांक- 05.09.2012 द्वारा पुनर्बहाल कर योगदान प्राप्त/ स्वीकृत करने के निर्णय के आलोक में द्वितीय बैच के निम्नांकित पुलिस उपाधीक्षकों की सेवा मुक्त अवधि (दिनांक-10.08.2010 से दिनांक-05.09.2012 तक) को माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद WP (PIL)- 3594/2011 (बुद्धदेव उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिकाएँ) के न्याय निर्णय एवं सरकार के आदेश से प्रभावित होने के शर्त पर असाधारण अवकाश (अवैतनिक) के रूप में सशर्त तदर्थ रूप से विनियमित किया जाता है :-

| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापन |
|---------|-----------------------|---|
| 1 | श्री शिवेन्द्र | पुलिस उपाधीक्षक(मुख्यालय), चाईबासा |
| 2 | श्री मुकेश कुमार महतो | अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद |
| 3 | श्री राधा प्रेम किशोर | पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची। |

- उक्त सेवा मुक्त अवधि (दिनांक-10.08.2010 से दिनांक-05.09.2012) के असाधारण अवकाश के रूप में विनियमन के फलस्वरूप किसी प्रकार का वेतन भत्ता आदि देय नहीं होंगे।
- द्वितीय बैच के सेवा मुक्त एवं पुनर्बहाल किये गये उक्त 03 पुलिस उपाधीक्षकों की सेवा मुक्त अवधि (दिनांक-10.08.2010 से दिनांक-05.09.2012 तक) को सशर्त तदर्थ रूप से विनियमन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(ओम प्रकाश तिवारी)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 12/पी₅-201/2003 (खण्ड)- ५७१० / राँची, दिनांक- ०४/०४ /2024 ई०।
प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 12/पी₅-201/2003 (खण्ड)- ५७१० / राँची, दिनांक- ०४/०४ /2024 ई०।
प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची /प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड राँची /चेडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा- 14/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा-12 एवं 13/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।